

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-25/2014-

/कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

प्रेषक,

**धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०**  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

**श्री संजय कुमार सिंह,**  
मेसर्स इण्डो स्वीस केमिकल्स लि०,  
H/O- डा० ललित कुमार,  
S/O- स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह,  
रोड नं०-2, राजेन्द्र नगर,  
पटना-800016,

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 111-112 दिनांक 05.07.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में मेसर्स सफेक्स केमिकल्स (इण्डिया) लि०, द्वारा निर्गत प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं मार्केटिंग एग्रीमेन्ट की वैद्यता तिथि के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों का 31.12.2016 तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 75% SP	35	Hexaconazole 5% EC
2	Acephate 25% +Fenvelrate 3% EC	36	Hexaconazole 5% SC
3	Acetamiprid 20% SP	37	Indoxacarb 14.5%+Acetamiprid 7.7%w/w SC
4	Alphacypermethrin 5%WP	38	Imidacloprid 17.8% SL
5	Alphamethrin 10% EC	39	Imidacloprid 30.5% SC
6	Alpha Naphthyl Acetic Acid 4.5% SL	40	Imidacloprid 70% WG
7	Allethrin 3.6% Liquid (House hold)	41	Isoproturon 75% WP
8	Ammonum Salt of Glyphosate 71% SG	42	Lambda Cyhalothrin 2.5% EC
9	Atrazine 50% WP	43	Lambda Cyhalothrin 5% EC
10	Buprofezin 25% SC	44	Lambda Cyhalothrin 4.9% CS
11	Butachlor 50% EC	45	Mancozeb 75% WP
12	Butachlor 50% EW	46	Metalaxyl 35% WS
13	Carbendazim 46.27% SC	47	Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP
14	Carbendazim 50% WP	48	Metribuzin 70% WP
15	Carbendazim 12%+Mancozeb 63%WP	49	Metsulfuron Methyl 20% WP
16	Carbofuran 3% CG	50	Paraquate Dichloride 24% SL
17	Cartap Hydrochloride 4% GR	51	Pendimethalin 30% EC
18	Cartap Hydrochloride 50% SP	52	Phorate 10% CG
19	Chlorpyriphos 20% EC	53	Piroxofop Propanyl 15% WP (Clodinafop-Propargyl)
20	Chlorpyriphos 50% EC	54	Propiconazole 25% EC
21	Chlorpyriphos 16% + Alphacypermethrin 1% EC	55	Propineb 70% WP
22	Copper Oxychloride 50%WP	56	Pretilachlor 50% EC
23	Cypermethrin 10% EC	57	Prophenfos 50% EC
24	Cypermethrin 25% EC	58	Prophenfos 40%+ Cypermethrin 4% EC
25	Dicofol 18.5% EC	59	Spinosad 45% SC
26	Difenoconazole 25% EC	60	Sulfosulfuron 75%WG
27	Emamectin Benzoate 5% SG	61	Sulphur 80% WP
28	Ethion 40%+Cypermerhrin 5% EC	62	Sulphur 80% WDG
29	Fenpropathrin 30% EC	63	Thiomethoxam 25% WG
30	Fenoxaprop-P- Ethyl 10%EC	64	Tricontanol 0.1%EW
31	Fipronil 0.3% GR	65	Triazophos 40%EC
32	Fipronil 5% SC	66	Tricyclazole 75%WP
33	Gibbrellic Acid 0.001% L	67	Validamycin 3% L
34	Glyphosate 41% SL		

2-उपरोक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स इण्डो स्वीस केमिकल्स लि0,H/O- रंजीत कुमार, S/O- स्वर्गीय सुरेश प्रसाद, बड़ी पहाड़ी, अगम कुआँ, पटना-800016,

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0-111-112 दिनांक 05.07.2014 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२५१

/कृ0, पटना, दिनांक 16 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।